### TO BE PUBLISHED IN PART I SECTION I OF THE GAZETTE OF INDIA

Government of India
Ministry of Communications and Information Technology
Department of Information Technology
Electronics Niketan, 6, CGO Complex

New Delhi - 110003 the 28th March 2011

#### **Notification**

### Standard for Iris Image

No. 2(32)/2009-EG-II. WHEREAS, Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP), which seeks to create the right Governance and institutional mechanism; implement a number of Mission Mode Projects at the Centre & State government and also promote the usage of Open Standards to avoid any technology lock-ins

AND WHEREAS, Standards in e-Governance is considered priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications and also creation of an Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance

AND WHEREAS, immediate need has been felt to have Standards for identification and authorization of an individual based on his biometrics data like Iris image

AND WHEREAS, the Competent Authority on Standards has approved the Biometrics Standard for Iris image based on the ISO 19794 part 6 standard

NOW, this Department hereby notifies Iris image Standards for e-Governance Applications w.e.f. the date of notification. The Standard can be downloaded from http://egovstandards.gov.in.

(Satvir Singh)
Joint Director

To

The Manager
Government of India Press
Faridabad (Haryana) : Along with Hindi Version.

Copy for information to:

1. All Secretaries, Government of India

2. Chief Secretaries of all the State Governments

3. Secretary (IT) of all the States.

(Satvir Singh)
Joint Director

# भारत के राजपत्र के भाग । खण्ड । में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स

नई दिल्ली - 110003, दिनांक अ8 मार्च, 2011

### अधिसूचना

## आईरिस चित्र के लिए मानक

सं. 2(32)/2009-ईजी-II. जबिक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) को चला रहा है, जिसका उद्देश्य सही शासन व्यवस्था तथा सांस्थानिक तंत्र का सृजन करना; केन्द्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर कई मिशन मोड परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना और साथ ही किसी प्रकार के प्रौद्योगिकी लॉक-इन से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

और जबिक, ई-शासन में मानकों को एक प्राथमिकता वाला कार्यकलाप समझा जाता है, जिससे सभी ई-शासन अनुप्रयोगों में सूचना के आदान-प्रदान तथा डेटा की अविच्छिन्न अन्तर-प्रचालनीयता का सुनिश्वय करने और साथ ही ई-शासन के लिए मानक तैयार/अंगीकार करने के लिए एनईजीपी के अन्तर्गत एक सांस्थानिक तंत्र का सृजन करने में भी सहायता मिलेगी।

और जबिक, आईरिस चित्र जैसे बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित किसी व्यक्ति की पहचान तथा प्राधिकरण के मानक तैयार करने की तात्कालिक आवश्यकता महसूस की गई है।

और जबिक, मानकों से संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने आइरिस चित्र के लिए आईएसओ 19794 भाग 6 मानक के आधार पर बायोमेट्रिक मानक को अनुमोदित किया है।

अब, यह विभाग एतदद्वारा ई-शासन अनुप्रय़ोगों के लिए आईरिस चित्र मानकों को अधिसूचना की तिथि से अधिसूचित करता है। मानक को <a href="http://egovstandards.gov.in">http://egovstandards.gov.in</a> से डाउनलोड किया जा सकता है।

(सतवीर सिंह) संयुक्त निदेशक

सेवा में

प्रबंधक भारत सरकार प्रेस फरीदाबाद (हरियाणा)

# प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

- सभी सचिव, भारत सरकार
- 2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव
- 3. सभी राज्यों के सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)

(सतवीर सिंह) संयुक्त निदेशक